2022/731

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

[अदाल]त सहायक कलक्टर मुकाम डीडवाना

छोटी देवी बनाम तोप कंवर

[नाम मुकद]मा धारा 251 A सं. 47 सन् 2022

[क्रम/तारीख]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[..]22	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अ./धारा 251 A में पेश किया दर्ज हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। मिसल दिनांक 14/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर डीडवाना	
14/11/22	वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार मौलासर से रिपोर्ट प्राप्त। अप्रार्थीगण के 11+ समन तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
30/11/22	वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं० 01 ता 07 की तरफ से वकील श्री राधेश्याम लाम्बा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं० 08 के समन तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19/12/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/12/22	वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं० 01 ता 07 की ओर से वकील श्री राधेश्याम लाम्बा [illegible] पेश किया। नवीन वकील [illegible] अप्रार्थी सं० 08 की तलबी [illegible] दिनांक 20/1/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhatnagar
Date: 2024.09.30 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। आदेश अलग से लिख कर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–47/2022 दायर दिनाँक 02.11.2022

आवेदक		अनावेदकगण
1. छोटीदेवी पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी छापरी कलां तहसील मौलासर जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तोप कंवर पुत्री जीवणसिंह 2. नन्दसिंह पुत्र जीवण सिंह 3. प्रसन्न कंवर पुत्री जीवणसिह 4. बहादुर सिंह पुत्र जीवणसिंह 5. भंवर कंवर पुत्री जीवणसिंह 6. मनोहर कंवर पुत्री जीवणसिंह 7. रेंवन्त कंवर पुत्री जीवणसिंह 8. राजपालसिंह पुत्र जीवणसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण छापरी कलां तहसील मौलासर जिला नागौर राज0 9. तहसीलदार डीडवाना।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील प्रार्थी।
2. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 7।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.07.2024

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक उपखण्ड डीडवाना में ग्राम छापरी कलां में स्थित खेत खसरा नम्बर 603/319 रकबा 3.9200 हैक्टे0 के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थीगण सं0 1 से 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल भाकर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी राजपालसिंह तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 की तरफ से वकील श्री रामेश्वर लाल भाकर ने जवाब पेश किया।

अप्रार्थी सं0 9 तामिलगी के बावजूद [illegible]लय में [illegible] अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण ने जवाव प्रस्तुत किया कि ग्राम छापरी कलां में अवस्थित खसरा सं0 319 रकबा 7.8400 हैक्टे0 जिसके पुराने खसरा सं0 114 रकबा 48.08 बीघा है। पूर्व में खातेदार काश्तकार अर्जुनसिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपुत ने प्रार्थीया श्रीमति छोटीदेवी को सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी। विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण सं0 01 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा छोटीदेवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। अर्जुनसिंह कृषि भूमि में आवागमन खसरा सं0 277/486 व 318 में से होकर आता जाता रहा है। आवागमन पगडंडी के रूप में किया जाता था। प्रार्थीया ने खसरा सं0 275 रकबा 1.6400 हैक्टे0 में से रास्ता चाहा है जो अनुचित है तथा सुगम व सरल नही है। प्रार्थीया की भूमि खसरा सं0 603/319 में आने जाने के लिए सबसे अच्छा, सुगम व सरल कम दूरी का रास्ता खसरा सं0 276 की उत्तरी सींव व पश्चिमी सींव के चिपते हुए किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता धारा 251 ए की मंशा के विपरित है। प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावें व विकल्प में कृषि भूमि खसरा सं0 276 में रास्ता कायम किया जावें।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना-पत्र पर आधारित रही व उन्होंने प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीया की भूमि में आवागमन के लिए खसरा सं0 276 की उत्तरी व पश्चिमी सींव के चिपते हुए सबसे अटल, सुगम व सरल कम दूरी का रास्ता बनता है जिसे रेकॉर्ड में कायम किया जावें।

बहस पर मनन किया व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार मौलासर से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मौलासर द्वारा पत्रांक 911 दिनाँक 14.11.2022 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी। तहसीलदार मौलासर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 275 में से मार्क A to B उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 1036 वर्ग मीटर है। वर्तमान DLC दर 215007/हैक्टे0 से 215007x1036x2/1000 = 44550 रूपये देय राशि बनती है।

तहसीलदार मौलासर अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 275 में से होकर दर्शित मार्क ए से बी की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर 603/319 तक जाता है।

सरहद छापरी कलां के खसरा नम्बर 603/319 रकबा 3.9200 हैक्टे0 में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने-जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थीया को रास्ते [illegible] है। तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई [illegible] रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए से बी भूमि को रास्ते के लिए [illegible] किया जो कि खसरा सं0 603/319 के नजदीकी [illegible] लगता है। अप्रार्थी[illegible] अपने जबाब में खसरा सं0 276 की उत्तरी [illegible] में कोई करने को सुगम व सरल बताया है परन्तु [illegible] [illegible]ति साक्ष्य पेश नही कर पाये है। अदय साक्ष्य में अप्रार्थीगण की [illegible]ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

स्वीकार्य नही बनती है। तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिर्पोट में भी खसरा सं0 276 की उत्तरी पश्चिमी सींव पर रास्ता प्रस्तावित नही किया है व ना ही ऐसा कोई सुगम रास्ता होना बताया है। इस प्रकार से अप्रार्थीगण की आपत्ति एतद् द्वारा अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा सं0 603/319 रकबा 3.9200 हैक्टे0 में आवागमन का रास्ता नही है तथा उसे अपनी जोत में आने–जाने के लिए रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध सांक्ष्यों, तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 603/319 वाकै सरहद छापरी कलां में आवागमन हेतु तहसीलदार मौलासर पत्र क्रमांक 911 दिनाँक 14.11.2022 के द्वारा प्रस्तुत, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी से दर्शित भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार मौलासर राजस्व रेकर्ड में 1036 वर्ग मीटर उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन नियमानुसार वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही तहसीलदार मौलासर सम्पादित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **23.07.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner